# न्यायालय:—व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—1 चन्देरी जिला—अशोकनगर (पीठासीन अधिकारी:—जफर इकबाल)

# <u>फाइलिंग नंबर—235103000252015</u> <u>व्यवहार वाद कं.—01ए/17</u> <u>संस्थापित दिनांक—20.02.2015</u>

1.धर्मा पुत्र भवरा जाति अहिरवार आयु 55 साल पेशा खेती निवासी ग्राम नानौन तहसील चंदेरी

2.कन्हैया पुत्र धर्मा जाति अहिरवार आयु 25 साल पेशा खेती निवासी ग्राम नानौन तहसील चंदेरी

3.अशोक पुत्र धर्मा जाति अहिरवार आयु 30 साल पेशा खेती निवासी ग्राम नानौन तहसील चंदेरी जिला अशोकनगर मध्यप्रदेश।

....वादीगण

#### विरुद्ध

1.आधार सिंह पुत्र तोरन सिंह जाति लोधी आयु 50 साल पेशा खेती निवासी ग्राम नानौन।

2.रती पुत्र जयराम जाति लोधी आयु अं0 30 साल पेशा खेती निवासी ग्राम नानौन तहसील चंदेरी

3.बृजेश पुत्र आधार सिंह जाति लोधी आयु अं0 30 साल पेशा खेती निवासी ग्राम नानौन तह0 चंदेरी

4.कन्छेदी पुत्र श्यामलाल जाति ढीमर आयु 35 साल पेशा खेती निवासी ग्राम नानौन तह0 चंदेरी

5.मनीराम पुत्र हरीराम जाति लोधी आयु 25 साल पेशा खेती निवासी ग्राम नानौन तहसील चंदेरी।

6.सेंदपाल पुत्र आधार सिंह जाति लोधी आयु 23 साल पेशा

खेती निवासी ग्राम नानौन तहसील चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0।

7.नरेश पुत्र आधार सिंह जाति लोधी आयु अं0 28 साल पेशा खेती निवासी ग्राम नानौन तहसील चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0।

## ....प्रतिवादीगण

8.मध्य प्रदेश राज्य शासन द्वारा श्री मान कलेक्टर महोदय अशोकनगर म0प्र0।

..... फोरमल प्रतिवादी

वादी द्वारा श्री अंशुल श्रीवास्तव अधिवक्ता। प्रतिवादी क्रमांक 1 लगायत 7 द्वारा श्री सुमन अधिवक्ता। प्रतिवादी क्रमांक 8 पूर्व से एकपक्षीय।

# -// निर्णय//-(आज दिनांक 05.08.2017 को घोषित)

- 01. वादीगण ने यह वाद प्रतिवादीगण के विरुद्ध ग्राम नानौन तहसील चंदेरी स्थित भूमि सर्वे कमांक 310/1/1/26 रकवा 1.045 हेक्टेयर भूमि (जिसे आगे विवादित भूमि से संबोधित किया जाएगा) पर स्वत्व घोषणा, कब्जा वापसी, अंतरवर्ती लाभ एवं स्थाई निषेधाज्ञा बाबत प्रस्तुत किया है।
- 02. प्रकरण में कोई महत्वपूर्ण उल्लेखनीय स्वीकृत तथ्य नहीं है।
- 03. वादीगण का वाद संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीगण के अनुसार उक्त विवादित भूमि राजस्व रिकार्ड में शांतिबाई पत्नी धर्मा के नाम से दर्ज है तथा प्रतिवादीगण द्वारा मारपीट करने के कारण शांतिबाई की मृत्यु हो गई। वादीगण के

अनुसार शांतिबाई ने अपने जीवनकाल में आपसी पारिवारिक बंटवारे में उक्त विवादित भूमि वादीगण को दे दी थी, जबिक विवादित भूमि पर वादीगण का कब्जा कई वर्षों से चला आ रहा है और वे उक्त विवादित भूमि के स्वत्वाधिकारी हैं। वादीगण के अनुसार प्रतिवादीगण आये दिन उन्हें परेशान करते हैं तथा दिनांक 26.06.14 को उनके द्वारा विवादित भूमि पर जबरन कब्जा कर लिया गया है और विवादित भूमि को प्रतिवादीगण अपना बता रहे हैं। वादीगण के अनुसार प्रतिवादीगण विवादित भूमि से कब्जा नहीं छोड रहे हैं तथा वादीगण को प्रतिवर्ष 50 हजार रुपये की हानि हो रही है। अतः उपरोक्त आधारों पर वादीगण ने उक्त विवादित भूमि का स्वत्वाधिकारी घोषित किए जाने, 25 हजार रुपये प्रतिवर्ष की दर से अंतरवर्ती लाभ दिलाये जाने, उक्त विवादित भूमि का कब्जा वापस दिलाये जाने एवं प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाषा संबंधी डिकी पारित करने का निवेदन किया है।

- 04. उक्त वादपत्र के जवाब में प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के वादपत्र में किए गए अभिवचनों को पूर्णतः अस्वीकार किया गया है। प्रतिवादीगण के अनुसार वादीगण द्वारा गलत आधारों पर वादपत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रतिवादीगण के अनुसार उक्त विवादित भूमि पर वादीगण का कोई कब्जा नहीं है। प्रतिवादीगण के अनुसार वे उक्त विवादित भूमि पर पिछले 30—35 वर्षों से काबिज हैं और खेती का लाभ ले रहे हैं। प्रतिवादीगण ने अपने जवाब दावे में अभिवचित किया है कि वादीगण का उक्त विवादित भूमि पर कभी कोई कब्जा नहीं रहा। अतः उपरोक्त आधारों पर प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के वादपत्र को अस्वीकार कर निरस्त करने का अभिवचन किया गया है।
- 05. वादीगण एवं प्रतिवादीगण के अभिवचनों के आधार पर पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित वाद प्रश्न की विरचना की हैं, जिनके आगे इस न्यायालय के सकारण निष्कर्ष निम्नवत है :—

क्रं.	वाद प्रश्न	निष्कर्ष
01.	क्या वादी धर्मा ग्राम नानौन, तहसील चंदेरी में स्थित	"नहीं"
	भूमि सर्वे कमांक 310/1/1/26 रकवा 1.045	
	हैक्टेयर भूमि तथा वादीगण कन्हैया व अशोक ग्राम	
	नानौन में स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 321/1/1/21	
	रकवा 1.000 हैक्टेयर भूमि के स्वत्व एवं	
	आधिपत्यधारी हैं ?	
02.	क्या प्रतिवादी क्रमांक 1 लगायत 7 द्वारा वादग्रस्त	"नहीं"
	भूमि पर वादीगण के स्वत्व व आधिपत्य में अवैध रूप	
	से हस्तक्षेप किया जा रहा है ?	
03.	क्या वादीगण वादग्रस्त भूमि का प्रतिवादी कमांक 1	''नहीं''
	लगायत 7 से रिक्त आधिपत्य प्राप्त करने का	
	अधिकारी है ?	
04.	क्या वादी, प्रतिवादी क्रमांक 1 लगायत 7 से वादग्रस्त	''नहीं''
	भूमि पर कब्जा करने की दिनांक से कब्जा प्राप्ति की	
	दिनांक तक 25 हजार रुपये प्रतिवर्ष हिसाब से	
	क्षतिपूर्ति अंतर्लाभ धन प्राप्त करने का अधिकारी है ?	
05.	क्या प्रस्तुत वाद अवधि बाह्य है ?	''नहीं''
06.	सहायता एवं व्यय ?	''निर्णयानुसार
		वादीगण का वाद
		अस्वीकार कर
		सव्यय निरस्त
		किया गया।"

## -:: सकारण निष्कर्ष ::-

- 06. वादीगण ने अपने वाद के समर्थन में वा.सा. 01 धर्मा, वा.सा. 02 सजन सिंह, वा.सा. 03 बृजलाल की मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत की है और साथ ही खसरा प्रपी 01, खतौनी प्रपी 02, नक्शा प्रपी 03 एवं अनुविभागीय अधिकारी चंदेरी की रिपोर्ट प्रपी 04 के दस्तावेज अभिलेख पर प्रस्तुत किए हैं। प्रतिवादीगण की ओर से प्र.सा. 01 आधार सिंह, प्र.सा. 02 रितराम, प्र.सा. 03 कमला, प्र.सा. 04 गोपीराम एवं प्र.सा. 05 दिमान सिंह की मौखिक साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है। प्रतिवादीगण की ओर से सीमांकन प्रतिवेदन प्रडी 01, पंचनामा प्रडी 02, सूचना पत्र प्रडी 03 लगायत प्रडी 07 के दस्तावेज अभिलेख पर प्रस्तुत किए गए हैं।
- 07. प्रकरण में अभिलेख पर आई हुई साक्ष्य आपस में संशक्त एवं अंतर्विलत है। अतः ऐसी स्थिति में साक्ष्य की पुनरावृत्ति के दोषनिवारणार्थ वाद प्रश्न क्रमांक 01 लगायत 04 का निराकरण एक साथ किया जा रहा है एवं वाद प्रश्न क्रमांक 05 एवं 06 का निराकरण पृथक—पृथक से किया जा रहा है।

### -:: वादप्रश्न कं. 01 लगायत 04 ::-

08. वा.सा. 01 धर्मा ने अपने कथन में बताया है कि वह उक्त विवादित भूमि का स्वत्वाधिकारी है। उक्त साक्षी के अनुसार उक्त विवादित भूमि पर उसका कब्जा था इस कारण उसका पटटा उसे शासन से प्राप्त हुआ। वा.सा. 01 के अनुसार प्रतिवादीगण का उक्त विवादित भूमि से कोई संबंध नहीं है, किंतु डेढ़ वर्ष पूर्व उनके द्वारा उक्त विवादित भूमि पर कब्जा कर लिया गया जिससे उसे 25000 रुपये प्रतिवर्ष के हिसाब से नुकसान हो रहा है। वा.सा. 01 के अनुसार उक्त विवादित भूमि उसकी पत्नी के स्वत्व एवं आधिपत्य की भूमि थी तथा उसकी पत्नी की मृत्यु के बाद उसके पुत्रों को प्राप्त हुई। उक्त साक्षी के अनुसार उसकी पत्नी

के नाम की भूमि उसकी पत्नी के नाम पर ही है। वा.सा. 01 ने अपने प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि प्रतिवादीगण विवादित भूमि पर तीन वर्ष से खेती कर रहे हैं। वा.सा. 02 सजन सिंह एवं वा.सा. 03 बृजलाल ने अपने मुख्यपरीक्षण में बताया है कि उक्त विवादित भूमि उन्होंने देखी है जिस पर वादी ने कुंआ खुदवाया है। वा.सा. 02 के अनुसार वह विवादित भूमि पर वादी का तीस वर्षों से कब्जा देख रहा है। उक्त साक्षी के अनुसार वादी को एक हे0 का पटटा मिला था तथा उसकी पत्नी को एक हे0 का पटटा मिला था तथा उसकी पत्नी को एक हे0 का पटटा मिला था। इसी प्रकार वा.सा. 03 के अनुसार दो—तीन वीघा पर वादी खेती करता है तथा शेष पर प्रतिवादी खेती करते हैं।

- 09. प्रतिवादीगण की ओर से प्र.सा. 01 आधार सिंह एवं प्र.सा. 02 रितराम ने अपने कथन में बताया है कि उक्त विवादित भूमि से वादी का कोई संबंध नहीं है। उक्त साक्षीगण के अनुसार उनका विवादित भूमि पर पैंतीस वर्षों से अधिक समय से कब्जा है तथा विवादित भूमि को वे जोत रहे हैं। प्र.सा. 01 के अनुसार विवादित भूमि उसके पिता के नाम पर है। प्र.सा. 03 लगायत प्र.सा. 05 ने अपने कथन में बताया है कि उन्होंने विवादित भूमि देखी है। उक्त साक्षीगण के अनुसार विवादित भूमि पर वादी का कभी कब्जा नहीं रहा। उक्त साक्षीगण के अनुसार वादीगण उक्त विवादित भूमि को अपनी बताकर उस पर कब्जा करना चाहते हैं। उक्त साक्षीगण के अनुसार विवादित भूमि से लगकर उनकी भूमि है इसलिए वे उसे हमेशा देखते रहते हैं। उक्त साक्षीगण ने इस बात को स्वीकार किया है कि वे प्रतिवादी की समाज के ही हैं। उक्त साक्षीगण ने इस बात को स्वीकार किया है कि उक्त विवादित भूमि पर वर्तमान में प्रतिवादीगण का कब्जा है।
- 10. वादी एवं प्रतिवादीगण की ओर से जो मौखिक साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है वह परस्पर विरोधी है। जहां एक ओर वादी साक्षीगण यह कथन कर रहे हैं कि उक्त विवादित भूमि वादीगण के स्वत्व की है, वहीं प्रतिवादी साक्षीगण यह कथन कर रहे हैं कि उक्त विवादित भूमि प्रतिवादी के स्वत्व की है।

अभिलेख पर आई हुई साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि उक्त विवादित भूमि पर वर्तमान में प्रतिवादीगण का कब्जा है, किंतु मात्र कब्जे के आधार पर स्वत्व संबंधी कोई निष्कर्ष देना समीचीन प्रतीत नहीं होता। इस प्रकार उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर ही यह निष्कर्ष दिया जा सकता है कि क्या वादीगण उक्त विवादित भूमि के स्वत्वाधिकारी हैं।

- 11. वादीगण की ओर से उक्त विवादित भूमि के खसरा प्रपी 01 एवं खतौनी प्रपी 02 की प्रमाणित प्रतिलिपि अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है जिसमें उक्त विवादित भूमि पर कब्जेदार के रूप में वादी की पत्नी शांतिबाई का नाम दर्ज होना दर्शित हो रहा है। उल्लेखनीय है कि प्रपी 01 एवं प्रपी 02 में यह भी दर्ज है कि उक्त विवादित भूमि अहस्तांतरणीय है। प्रपी 04 अनुविभागीय अधिकारी, चंदेरी को दिया गया आवेदन पत्र है एवं प्रपी 03 नक्शाअक्श है। उपरोक्त दस्तावेजों के अतिरिक्त वादीगण ने अन्य कोई दस्तावेज अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किया है। प्रपी 01 एवं प्रपी 02 के दस्तावेजों के अतिरिक्त वादीगण ने कब्जे के संबंध में अन्य कोई राजस्व अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया है। वादीगण के अनुसार उनका उक्त विवादित भूमि पर तीस—पैंतीस वर्षों से अधिक समय से कब्जा चला आ रहा है, किंतु वादीगण द्वारा तीस—पैंतीस वर्षों से अधिक समय से कब्जा संबंधी कोई भी दस्तावेज अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किया गया है।
- 12. अभिलेख पर आई हुई साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि वादी की पत्नी को उक्त विवादित भूमि पटटे पर प्राप्त हुई थी जो कि अहस्तांतरणीय है। इस प्रकार वादी की पत्नी की मृत्यु के पश्चात् उक्त विवादित भूमि उसके वारिसानों को प्राप्त नहीं हो सकती। इसके लिए आवश्यक है कि उक्त विवादित भूमि का पटटा पुनः शासन द्वारा वादीगण को प्रदान किया गया हो, किंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। मात्र पटटे के आधार पर वादीगण उक्त विवादित भूमि के स्वत्वाधिकारी घोषित नहीं किए जा सकते। पटटा कुछ शर्तों के अधीन एक निश्चित समय के लिए

प्रदान किया जाता है तथा संपत्ति अंतरण अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत पटटे के अधार पर किसी को भी भूमि स्वामी अधिकार प्राप्त नहीं होते। यहां पर यह भी उल्लेखनीय है कि वादीगण ने शासन का ऐसा कोई आदेश अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किया है जिससे वादीगण या वादी धर्मा की पत्नी शांतिबाई को उक्त विवादित भूमि का स्वत्वाधिकार प्रदान कर दिया गया हो। यद्यपि प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर यह स्पष्ट है कि उक्त विवादित भूमि पर प्रतिवादीगण का कोई स्वत्व नहीं है तथा उक्त विवादित भूमि शासन की भूमि है जिस पर प्रतिवादीगण का वर्तमान में कब्जा है।

13. उपरोक्त समग्र विवेचन के प्रकाश में यह निष्कर्ष दिया जाता है कि वादीगण यह प्रमाणित करने में असफल रहे हैं कि वे उक्त विवादित भूमि के स्वत्वाधिकारी हैं और इस प्रकार वे उक्त विवादित भूमि का न तो रिक्त आधिपत्य प्राप्त करने के अधिकारी हैं और न ही कोई क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने के अधिकारी हैं। परिणामतः वाद प्रश्न क्रमांक 01 लगायत 04 नकारात्मक निर्णीत किये जाते हैं।

#### -:: <u>वादप्रश्न कं.-05</u> ::-

14. वादीगण ने प्रस्तुत वाद स्वत्व घोषणा बाबत प्रस्तुत किया है। वादीगण के अनुसार प्रतिवादीगण ने उन्हें उक्त विवादित भूमि से 26.06.14 को बेदखल कर दिया था तथा उक्त दिनांक को वाद कारण उत्पन्न हुआ था। वादी ने प्रस्तुत वाद दिनांक 19.02.15 को प्रस्तुत किया है जो कि परिसीमा अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत परिसीमा समय के भीतर प्रस्तुत किया जाना प्रकट हो रहा है। इस प्रकार वादीगण का वाद अवधि बाह्य नहीं है। परिणामतः वाद प्रश्न कमांक 05 नकारात्मक निर्णीत किया जाता है।

## -:: <u>वादप्रश्न कं.-06</u> ::-

- 15. साक्ष्य एवं विधि के उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में यह निष्कर्ष दिया जाता है कि वादीगण अपना वाद प्रमाणित करने में असफल रहे हैं। परिणामतः वादीगण का वाद अस्वीकार कर सव्यय निरस्त किया जाता है।
- 16. वाद का संपूर्ण व्यय वादीगण द्वारा वहन किया जाएगा एवं अधिवक्ता शुल्क प्रमाणित होने पर या सूची अनुसार जो भी कम हो देय होगी।

उपरोक्तानुसार जयपत्र की रचना की जावे।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(ज़फर इकबाल) व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–1 चंदेरी, जिला अशोकनगर (ज़फर इकबाल) व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–1 चंदेरी, जिला अशोकनगर